आवश्यक सूचना

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राजकीय संस्कृत विद्यालयों में निर्धारित मानदेय में योग्य प्रशिक्षकों के चयन हेतु दिनांक 05.01.2026 को साक्षात्कार का आयोजन किया गया था, जिसमें व्याकरण विषय के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा राजकीय संस्कृत विद्यालय, खरसाली, उत्तरकाशी हेतु योग्य प्रशिक्षक का चयन कर लिया गया है।
2. राजकीय संस्कृत विद्यालय, सौड़, नई टिहरी तथा राजकीय संस्कृत विद्यालय, चम्बा, नई टिहरी में आधुनिक विषय हेतु योग्य प्रशिक्षक न मिलने के कारण आधुनिक विषय हेतु साक्षात्कार पुनः 30.01.2026 को प्रातः 10:30 बजे से आयोजित किया जायेगा, अतः सभी योग्य अभ्यर्थी दिनांक 30.01.2026 को यथासमय निर्धारित स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं।
3. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 31.12.2025 को 42 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा अभ्यर्थी उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार आवेदन पत्र उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी की वैबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र एवं सभी दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार स्थल, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, संस्कृत भवन, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वार, पर दिनांक 30.01.2026 को प्रातः 10:30 बजे से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
4. साक्षात्कार संबंधी अन्य सभी नियम/शर्तें अर्हताएं इत्यादि यथावत रहेंगी।

अतिथि प्रशिक्षकों की सेवा सम्बन्धी आवश्यक नियम व शर्तें

दैनिक समाचार पत्र में दिये गये विज्ञापन के क्रम में अतिथि प्रशिक्षकों की नियुक्ति केन्द्रीय विद्यालयों में संचालित संविदा शिक्षकों की भांति निम्न नियमों/शर्तों के आलोक में तय किया जाना प्रस्तावित है–

1. अतिथि प्रशिक्षकों का निर्धारण साक्षात्कार (Walk in Interview) के माध्यम से साक्षात्कार समिति द्वारा किया जायेगा।
2. अतिथि प्रशिक्षकों के निर्धारण के सम्बन्ध में साक्षात्कार समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
3. प्रत्येक नये सत्र में अतिथि प्रशिक्षकों की नई तैनाती संबंधी अनुबंध पत्र (Fresh Appointment) विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी किया जायेगा।
4. अतिथि प्रशिक्षकों को चयनोपरान्त निर्धारित मानदेय रू0 20000.00 प्रतिमाह, संस्कृत निदेशालय से प्राप्त प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर उ0सं0अ0 द्वारा प्रदान किया जायेगा।
5. चयनित प्रशिक्षकों को शिक्षण कार्यों के साथ–साथ परीक्षा/निरीक्षण/उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन इत्यादि अन्यान्य कार्य करने पर कोई अतिरिक्त मानदेय देय नहीं होगा।
6. चयनित अतिथि प्रशिक्षकों को ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाशों का मानदेय नहीं दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित अतिथि प्रशिक्षकों का चयन, साक्षात्कार समिति की संस्तुति के क्रम में अंशकालीन अनुबंध के आधार पर किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी को "अतिथि प्रशिक्षक साक्षात्कार" हेतु नियत स्थल पर निर्धारित समय व तिथि को मूल अभिलेखों एवं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ेगा।

प्रो0 मनोज किशोर पन्त
सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार

9. चयन के उपरान्त सम्बन्धित अतिथि प्रशिक्षक अपने शैक्षिक अभिलेखों के विधिमान्य एवं सही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगें ।
10. साक्षात्कार स्थल तक आने–जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य व्यय देय नहीं होगा।
11. चयनित अतिथि प्रशिक्षकों द्वारा ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश के मानदेय हेतु अथवा समायोजन हेतु कभी किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकेगा।
12. उक्तानुसार दिये जाने वाले अंशकालीन अनुबन्ध को कभी भी किसी भी परिस्थिति में न्यायालय में किसी लाभ हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
13. चयनित अतिथि प्रशिक्षक तभी तक शिक्षण कार्य में बने रह सकेंगें जब तक कि मानदेय दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अधिकृत समितियों/उच्च स्तरों से स्वीकृति प्राप्त होगी।
14. समितियों/उच्च स्तर से स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई कार्य करने/स्वयं निर्णय लेने पर, स्वयं का ही उत्तरदायित्व होगा।
15. अभ्यर्थी का चयन होने पर विद्यालय/महाविद्यालय में पहुँचने हेतु किसी प्रकार के यात्रा व्यय की मांग प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
16. अतिथि प्रशिक्षकों द्वारा किये जाने वाले शैक्षिक कार्यों के सापेक्ष संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाचार्य अपने स्तर से उस अवधि हेतु अनुभव पत्र दे सकेंगें जिस अवधि में मानदेय दिया गया हो, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगें।
17. उक्त व्यवस्था शैक्षिक सत्रान्त अथवा 11 माह जो भी पहले हो तक बनी रहेगी, उसके पश्चात् नये शैक्षणिक सत्र/वित्तीय वर्ष में पुनः नये सिरे से प्रशिक्षक चयन प्रक्रिया सम्पन्न जायेगी।
18. किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जायेगा।

पत्रांक– /104–3/रा0सं0शि0स0अनु0/कार्या0/उ0सं0अ0/25 Date: 07-01-2026

अतिथि प्रशिक्षक हेतु पदों की वांछित योग्यता/अर्हता निम्नवत् है–

क्र0सं0	पदनाम	पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता
1	अतिथि प्रशिक्षक आधुनिक विषय (विज्ञान, गणित, कंप्यूटर)	**राजकीय संस्कृत विद्यालय उत्तरमध्यमा/पूर्वमध्यमा** (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पी0सी0एम0 (रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा गणित) विषयों के साथ स्नातक की उपाधि। (2) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री / बी0एड्0 उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा के साथ टी0ई0टी0 द्वितीय अथवा सी0टी0ई0टी0 द्वितीय उत्तीर्ण होना आवश्यक है। **अधिमानी अर्हता– कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले को वरीयता दी जायेगी।**
	आधुनिक विषय के 02 प्रशिक्षकों हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है, आवश्यकता के दृष्टिगत यह संख्या	

उक्त अर्हता वाले चयनित अभ्यार्थियों को निम्न विद्यालयों में तत्काल अपनी सेवाएं देनी होंगी –

1. राजकीय संस्कृत विद्यालय, सौड़, नई टिहरी।
2. राजकीय संस्कृत विद्यालय, चम्बा, नई टिहरी।

प्रो0 मनोजकिशोर पन्त
सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार